

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. माताबदल निषाद पुत्र हीरालाल नि० चपरहन पुरवा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-100/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. विनोद पुत्र धरिते नि० बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-93/21, 02. ओम पथरकट पुत्र रामचन्द्र नि० बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-94/21, 03. संगम लाल पुत्र घसीटे लाल नि० बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-95/21, 04. अनुज लाल पुत्र घसीटे नि० बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-96/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. उर्मिला देवी पत्नी ओमप्रकाश नि० परसोहनी सोहास थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सोनू पुत्र हसीन उल्ला नि० सुकरौली थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. मनोज कुमार पुत्र रामसुमिरन नि० महवाडीह असरफपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-171/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.06.2021**

**मारपीट करने की वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मु0अ0सं0—150/21, धारा 327,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. विशाल पुत्र सुरेश नि0 गायत्रीपुरम चौराहा निहालपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—150/21, धारा 327,323,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.06.2021**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर के उ०नि० कुबेर तिवारी मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मो० रमजान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अल्प्राजोलम की 118 गोली बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मो० रमजान पुत्र अब्दुल मजीद नि० नई बस्ती थाना को० नगर जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-473/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. अल्प्राजोलम की 118 टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० कुबेर तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 24.06.2021

'ऑपरेशन तमंचा' अभियान में थाना को० नगर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने 'ऑपरेशन तमंचा' अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका कय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना को० नगर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त ताने उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में आम्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. ताने उर्फ सुल्तान पुत्र इजराइल नि० पोर्टरगंज पथवलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०-474/21, धारा-3/25 आम्स थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:—

01. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

01. उ०नि० गोपाल सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.06.2021**

**जालसाजी करने के 04 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-22/21, धारा 419,420,467,468 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों-01. सोमन, 02. नानबाबू, 03. ओमप्रकाश, 04. श्रीमती गुडिया को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने वादी श्री विनीत कुमार मिश्र पुत्र चन्द्रभान मिश्र नि0 कर्मडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर बैनामा करा लिया था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. सोमन पुत्र स्व0 जगमोहन नि0 लालापुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. नान बाबू पुत्र स्व0 तिलई नि0 झगरू पुरवा मौजा बछईपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. ओम प्रकाश पुत्र रामसागर नि0 रमवापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. श्रीमती गुडिया पत्नी लाल बिहारी नि0 लक्ष्मणपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-22/21, धारा 419,420,467,468 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 विजय बहादुर मय टीम।